न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2007/185** दायर दिनांक **11.12.2007**

वादीगण		प्रतिवादी
1. सीतादेवी पत्नी स्व0 भंवरलाल 2. सन्तोष देवी पुत्री स्व0 भंवरलाल 3. नन्दलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल 4. सरोज पुत्री स्व0 भंवरलाल 5. ललिता पुत्री स्व0 भंवरलाल 6. रूपचन्द पुत्र स्व0 जाति माली निवासी टीबाबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. भंवरलाल पुत्र सुखदेव जाति माली निवासी कुमानिया बास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा — 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—
1. श्री राजेन्द्र माथुर, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री नरेन्द्र औझा अधिवक्ता प्रतिवादी

—:: निर्णय ::—

दिनांक **26.07.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी पूर्वजों की खातेदारी व कब्जा काश्त खेत खसरा सं0 1231, 1232, 1233, 1250 वाकै डीडवाना रहे है। जिसका पट्टा 20.07.1944 का रामसुख पुत्र रूपा के नाम का बना हुआ है। उक्त पट्टा की नकल वाद के साथ पेश है। उक्त खेत वादी के पूर्वजों के नाम सं0 2014 से 2017 तक की खतोनी की रही है तथा कब्जा काश्त भी रहा है किन्तु सं0 2022 के सेटलमेन्ट में उक्त खेत लादु के पुत्रों के नाम चढा दिये किन्तु कब्जा काश्त सदैव से वादी व इनके पूर्वजों का ही रहा है। खसरा सं0 1233 व 1231 के नये खसरा सं0 2591 व 2592 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, 03 बीघा जिसके खसरा मिलान की नकल पेश है। खसरा सं0 2591 व 2592 पूर्वजों के समय से वादी के कब्जा काश्त व हक अधिकार की रही है जिसमें वादी के रहवासी मकानात बने हुए है तथा बाकी खुली भूमि के रूप में है। वादी व प्रतिवादी एक ही बास व परिवार के होने से उक्त खसरा सं0 2591 व 2592 पर कब्जा तो वादी के नाम से रहा खातेदारी प्रतिवादी के नाम से चली आ रही है इस प्रकार खसरा सं0 2589 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा की खातेदारी तो वादी के नाम से है तथा कब्जा काश्त प्रतिवादी का है। नकल खतौनी से स्पष्ट है। अब वादी के कब्जा काश्त वाले खसरा सं0 2591 व 2592 काफी कीमती व सडक पर होने से प्रतिवादी की नियत उक्त खसरा नम्बर में दखल व बेचान करने की हुई तथा बार बार वादी को यह धमकी दे रहा है कि खेतों की खातेदारी मेरे नाम से है तथा कब्जा काश्त आपका है तो भी उक्त खेताय का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2012/35
दायर दिनांक 14.02.2012, निर्णय दिनांक 21.07.2017
भंवरलाल बनाम भंवरलाल

बैचान मैं किसी अन्य को करूंगा, जो कतई गलत है। इससे वादी के अधिकारों पर संकट है। जिससे प्रतिवादी को दखल व बेचान करने से रोका जाना जरूरी है। इस हेतु वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश है। उक्त खसरा नं0 2591 व 2592 सदैव ही वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी क रहे है तथा आज वहां रहवासी मकान बने हुए है व बाकी जमीन खुली है। सेटलमेन्ट की गलती व मिलावट से उक्त भूमि की खातेदारी सं0 2022 में प्रतिवादी के पिता वगैराह के नाम चढा दी जबकि कोई कब्जा व हक व अधिकार प्रतिवादी का नहीं रहा है उक्त भूमि वादी के ही हक व अधिकारों की रही है जिसमें वादी उक्त खसरा नम्बर 2591, 2592 की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु दावा बाबत घोषणा खातेदारी का पेश है।

प्रार्थना वादी है कि वादी को खेत खसरा सं0 2591 व 2592 वाके डीडवाना का खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि वह खसरा सं0 2591, 2592 वाके डीडवाना का कोई बचान/हस्तान्तरण न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर वास्ते जवाब हेतु प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया।

प्रतिवादी ने जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि खसरा सं0 1231, 1232, 1233, 1250 वाके सरहद डीडवाना पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न है। खसरा सं0 2590, 2591, 2592 पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। खेत खसरा सं0 2591, 2592, 2590 की भूमि पर वादी या उसके पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा और न है। उक्त भूमि में रिहायसी मकान बनाया हुआ है वह प्रतिवादी का है। वादी व प्रतिवादी के खेत नजदीक होने से वादी के परिवार की असुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी ने अपना उक्त मकान वादी को अस्थाई निवास हेतु दिया था। खसरा सं0 2589 वाके डीडवाना पर प्रतिवादी पुश्तेनी काबिज है इस खसरा की खातेदारी वर्तमान में वादी व उसके अन्य परिजनों के नाम से गलत अंकित है जिसे वादी ने जानबुझकर छुपाया है। मात्र यह स्वीकार किया है कि इस खसरा पर प्रतिवादी सदैव से काबिज है। वादी के इस वाद में मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज व नो जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्श है। अतः दावा नाकाबिल चलने के है। वादी ने अपने दावा के पद सं0 06 में माना है कि खसरा नं0 2589 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा की खातेदारी वादी के नाम से गलत अंकित है यह खेत प्रतिवादी का है और प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त है। खसरा सं0 2591 व 2592 वाके सरहद डीडवाना की वर्तमान खातेदारी हकदार वादी न होकर प्रतिवादी है और इससे पूर्व इस खसरान की खातेदारी का पर्चा लगान प्रतिवादी के पिता काका व ताउ के नाम का जारी किया हुआ है और इससे पूर्व इस खरान की खातेदारी का पर्चा लगान प्रतिवादी के पिता काका व ताउ के नाम से जारी किया हुआ है और रिसेटलमेन्ट के पूर्व भी न खसरान की भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादी के पूर्वजान का ही रहा है। वादी गलत दावा की आड में इन खसरान की भूमि हडपना चाता है और इस दावें की आड में उक्त खसरान की भूमि की फरोक्त करने को आमादा है। जिससे प्रतिवादी को अजहद नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नगदी से नहीं हो सकेगी। अतः दावा विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाना आवश्यक है कि वादी या उसका कोई आदमी या ऐजेन्ट उक्त खसरा नं0 2589, 2590, 2591, 2592 वाके डीडवाना की भूमि में प्रतिवादी के कब्जा काश्त में कभी भी किसी प्रकार की दखल हस्तक्षेप या हस्तान्तरण नहीं करें और न करावें। इस काउन्टर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2012/35
दायर दिनांक 14.02.2012, निर्णय दिनांक 21.07.2017
भंवरलाल बनाम भंवरलाल

क्लेम की सुनवाई हेतु नियमानुसार कोर्ट फीस मुद्रांक प्रस्तुत है। अतः वादी का वाद मियाद बाहर है अतः खारिज किया जावें।

दिनांक 29.01.2015 को वादी की तरफ से अन्तर्गत आदेश 22 निय 03 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई गई। वकील प्रतिवादी ने आज दिनांक तक उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया है। अतः जवाब दर0 बन्द किया जाता है। वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 निय 03 सी0पी0सी0 का स्वीकार कर वादी भंवरलाल के वारिसान को रेकर्ड पर लिया जाता है। वादीनी राधा देवी पत्नी श्रीराम फौत हो चुकी है जिसके कायम मुकाम पहले से रेकर्ड पर उपस्थित है।

बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्तसम्बधी विधि का अध्ययन् किया। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब जरिये दावा वादीगण डिक्री सादिर कर वाके सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2591 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा व खसरा सं0 2592 रकबा 03 बीघा की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 26.07.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2007/185 दायर दिनांक 11.12.2007

वादीगण		प्रतिवादी
1. सीतादेवी पत्नी स्व0 भंवरलाल 2. सन्तोष देवी पुत्री स्व0 भंवरलाल 3. नन्दलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल 4. सरोज पुत्री स्व0 भंवरलाल 5. ललिता पुत्री स्व0 भंवरलाल 6. रूपचन्द पुत्र स्व0 जाति माली निवासी टीबाबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. भंवरलाल पुत्र सुखदेव जाति माली निवासी कुमानिया बास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 26.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री राजेन्द्र माथुर, अधिवक्ता, वादीगण व श्री नरेन्द्र औझा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब जरिये दावा वादीगण डिक्री सादिर कर वाके सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2591 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा व खसरा सं0 2592 रकबा 03 बीघा की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.07.2017 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner